नगर परिषद जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद जोगेन्द्रनगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या यू0डी0ए0 (1)–1 दिनांक 24.3.2017 के अन्तर्गत नगर पंचायत जोगिन्द्र नगर को स्तरोन्नत कर इसे नगर परिषद का दर्जा दिया गया है तथा उक्त नगर पंचायत सचिव के पद को भी उन्नत करके नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का दर्जा दे दिया गया है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद जोगिन्द्र नगर के अध्यक्ष तथा सचिव/कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे

अध्यक्ष

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रतिभा	1.4.15 से 17.1.16
2	श्रीमती निर्मला देवी	18.1.16 से 31.3.17

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री हरीश शर्मा	1.4.15 से 26.6.15
2	श्री देवी सिंह ठाकुर	10.7.15 से 9.9.15
3	श्री देश राज चौधरी	10.9.15 से 16.10.15
4	श्री गोविन्द राम ठाकुर	17.10.15 से 31.1.17
5	श्री ऐ0के0 सिंह	6.3.17 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद जोगेन्द्र नगर के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	दिनांक 31.3.17 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	5 (ग)	104.74
2	कर्मचारियों को 4–9–14 स्कीम के अन्तर्गत अधिक भुगतान करना	10	5.22
3	श्री रविकान्त तथा श्री राजेश कुमार कर्मचारियों को बकाया वेतन की राशि का अनुचित भुगतान करने बारे	11 (क)	3.20
4	कच्चे खोखो की किराये की वसूली शेष	14	0.72
5	दुकानों के किराये की वसूली शेष	15	2.50
6	गृहकर की वसूली शेष	16	52.29
7	मोबाईल टावर कम्पनियों से स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	17	1.71

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही थी जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद जोगेन्द्रनगर के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण श्री तरबीज कुमार, सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 29.8. 2017 से 17.10.2014 के दौरान नगर परिषद जोगेन्द्रनगर में किया गया। विस्तृत जॉच हेतु आय के लिये माह 6/2015 व 12/2016 तथा व्यय के लिये माह 11/2015 व 1/2017 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है।

नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिये स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक ही सीमित हैं।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद जोगिन्द्रनगर के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹36400 आंका गया। कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर परिषद जोगिन्द्रनगर को सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या 343 दिनांक 16.10.17 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया। नगर परिषद द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट संख्याः 649347 दिनाँक 1.11.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिन्द्र नगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद जोगिन्द्रनगर की अवधि 1.4.15 से 31.3.17 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ख–1 तथा ख–2"** में दिया गया हैः–

वर्ष 2015–16

क्र0सं0		प्रा0 शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	शेष राशि
1	स्वः स्त्रोत	534473	2374811	–	2909284	2013121	896163
2	अनुदान	20085243	20810359	92231	40987833	29400768	11587065
	योग	20619716	23185170	92231	43897117	31413889	12483228

वर्ष 2016–17

क्र0सं0		प्रा0शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	शेष राशि
1	स्वः स्त्रोत	896163	3091284	–	3987447	2319738	1667709
2	अनुदान	11587065	11445200	21137	23053402	12579052	10474350
	योग	12483228	14536484	21137	27040849	14898790	12142059

दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों में संलग्न परिशिष्ट "ग" के अनुसार जमा राशि निम्न प्रकार से है

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि

1	हिमाचल ग्रामीण बैंक	2435	59595	
2	हि0प्र0 स्टेट कोपरेटिव	3705	59015	
3	–यथोपरि–	3706	125547	
4	–यथोपरि–	15492	50620	
5	पी0एन0बी0	18269	44072	
		कुल	**338849**	**338849**
6	एस0बी0 आई0	43024	2367817	
7	हि0प्र0 स्टेट को0	6880	8015407	
8	हि0प्र0 स्टेट को0	3204	1659439	
		कुल	**12042663**	**12042663**
		जोड़		**₹12381512**

नोटः– उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 5 तक शेष बैंक पास बुकों के उपर आधारित है। इन खातों हेतु कोई भी रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया है, केवल मात्र क्रम संख्या 6 से 8 तक के खातों की रोकड़ बही तैयार की गई है, जिसका बैंक समाधान निम्न प्रकार से है

(क) खाता संख्या 43024 भारतीय स्टेट बैंक D.C. फण्ड की बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष			**2275196**
दिनांक 31.3.17 को बैंक शेष		**2367817**	
निम्न ब्याज की राशियों को कैश बुक में नहीं दर्शाया गया			
25.6.16	31516		
25.9.16	18236		
25.12.16	20460		
25.3.17	22639		
जोड़	**92851**	(–)**92851**	
निम्न बैंक चार्जिज को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया			
15.10.16	115		
31.3.17	115		
	230	(+)230	
दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष		2275196	2275196

(ख) खाता संख्या 6880 हिमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक UD फण्ड की बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.17 कैश बुक अनुसार अन्तिम शेष		7860305
दिनांक 31.3.17 को बैंक पास बुक में जमा राशि	8015407	
चैक जारी किए गए लेकिन 31.3.17 तक बैंक में प्रस्तुत	(–)79104	

नहीं किए गए (माईनस)		
(GIA) गांट बैंक खाते में जमा हुई लेकिन रोकड़ बही में नहीं ली गई (माईनस)	(–)654100	
योग	**7282203**	**7282203**

रोकड़ बही व बैंक शेष में अन्तर ₹7860305–₹7282203=₹578102

(ग) खाता संख्या 3204 हिमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक स्वः स्त्रोत की बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.17 कैश बुक अनुसार अन्तिम शेष		₹1667709
दिनांक 31.3.17 को पास बुक (बैंक) में जमा राशि	1659439	
दिनांक 31.3.17 को टावर की फीस ₹6250 रोकड़ बही में जमा हुई लेकिन चैक बैंक में जमा नहीं हुआ	(+) 6250	
राशि रोकड़ बही में जमा की गई लेकिन बैंक में 31.3.17 के बाद जमा हुई	(+) 2750	
योग	**1668439**	**₹1668439**

रोकड़ बही तथा बैंक शेष में अन्तर ₹1668439–1667709=(–)₹730

(घ) रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2.2 (V) व 2.3 (a) के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही का मिलान बैंक/कोष से करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा माह के अन्त में रोकड़ बही का मिलान बैंक से नहीं किया गया है, जिसके अभाव में दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खाता संख्या 6880 तथा बैंक खाता संख्या 3204 में क्रमशः **₹578102** तथा (–)₹730 का अन्तर पाया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 11.9.17 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिन्द्रनगर के ध्यान में लाया गया जिस के उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या MC/JNR-2017-595 दिनांक 20.9.17 द्वारा सम्बन्धित अन्तर की बैंक विवरणी तैयार करने को कहा गया है तथा कृत कार्यवाही अंकेक्षण को भी दिखाई जाने को लिखा है। अतः कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। **परिशिष्ट–ग** में सन्दर्भित क्रमांक 1 से 5 तक खातों को विभिन्न बैंकों में रखा गया था तथा इन पांच खातों में दिनांक 31.3.2017 को कुल ₹338849 शेष थे लेकिन इनका लेन–देन का रख रखाव बैंक पास बुक के आधार पर ही किया गया है। इन खातों का कोई भी अभिलेख/रोकड़ बही नहीं रखी गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए और इन

खातों को अविलम्ब बन्द करके राशियां ब्याज सहित मुख्य रोकड़ बही में हस्तांतरित की जानी सुनिश्चित की जाए।

5 अनुदान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि मे ंप्राप्त व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी **परिशिष्ट "ख–1 व 2"** पर दर्शाई गई है, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई

(क) नगर पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव ठीक ढ़ंग से नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अमल नहीं किया गया, यह चिन्ताजनक है। अतः अनुदानों का रजिस्टर न रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा विभिन्न अनुदान राशियों की प्राप्ति व उपयोग के बिल संख्या इत्यादि का माहवार विवरण रखा जाए तदोपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) आय–व्यय के वर्गीकृत सार रजिस्टर का रख रखाव न करना

संस्था की आय व व्यय के विवरण हेतु वर्गीकृत सार रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसके अभाव में शीर्ष अनुसार आय व व्यय के सही आंकड़ों की पुष्टि करना सम्भव नहीं है। अतः वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनुदानों की उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दर्शाये गए व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

(ग) दिनांक 31.3.2017 को अनुदानों की ₹104.74 लाख उपयोग हेतु शेष

परिशिष्ट "ख–2" के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को अनुदान की कुल ₹10474350 उपयोग हेतु शेष थी। अनुपयुक्त राशियों का उपयोग नियमानुसार उसी उद्देश्य हेतु किया जाए जिसके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 श्री जोनी सफाई कर्मचारी की जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में संदिग्ध होने बारे

जन्म तिथिः– 25.12.1992
नियुक्ति की तिथि फरवरी 2005 (दैनिक भोगी)
नियमित नियुक्ति की तिथि 1.4.2015
पदनामः–सफाई कर्मचारी

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या UD-H(B)(1)-48/99-1 20543-44 दिनांक 18.3.2015 के अनुसार उक्त कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया जिसकी अनुपालना से कर्मचारी ने दिनांक 1.4.15 को नियमित तौर पर पद ग्रहण किया। अभिलेख की जाँच उपरान्त पाया गया कि कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति फरवरी 2005 में दर्शाई गई है तथा उस तिथि को उस की आयु केवल 12 वर्ष 4 मास थी जोकि संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः मामला नगर परिषद के प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है जिसकी छानबीन उपरान्त सही जन्म तिथि के बारे में पता किया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 श्री रविकान्त, बेलदार की सेवा पुस्तिका में शुद्धि बारे

जन्म तिथिः– 23.10.1979
नियुक्ति की तिथिः– 1.10.2003
नियमित नियुक्ति की तिथिः– 1.4.2015

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या UD-H(B)(1)-48/99-1 दिनांक 18.3.2015 के अनुसार उक्त कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया जिसकी अनुपालना में कर्मचारी ने दिनांक 1.4.2015 को नियमित तौर पर पद ग्रहण किया। अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कर्मचारी के नियमितीकरण आदेश में नाम श्री रवि कुमार दर्शाया गया है जबकि 10वीं के सर्टिफिकेट में व सर्विस बुक में श्री रवि कांत दर्शाया गया है। इसी प्रकार उक्त कर्मचारी के पिता का नाम 10वीं के सर्टिफिकेट में श्री हेम राज दर्शाया गया है जबकि चरित्र प्रमाण पत्र में श्री हेम चन्द दर्शाया गया है।

अतः यह मामला नगर परिषद के प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी के सर्विस अभिलेख में शुद्धि करनी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 श्री महेश कुमार, लिपिक को भत्तों की ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान

नगर परिषद जोगिन्द्र नगर के कार्यालय आदेश संख्या NPJNR-2015-6756-60 दिनांक 4.8.2015 के अन्तर्गत श्री महेश कुमार को बेलदार के पद से लिपिक के पद पर पदोन्नति किया गया तथा सम्बन्धित कर्मचारी ने दिनांक 5.8.2015 (पूर्वाहन) से उक्त कार्यालय आदेशों की अनुपालना में लिपिक के पद पर कार्य ग्रहण किया।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री महेश कुमार को लिपिक के पद पर कार्यग्रहण के दिन से दिनांक 31.3.2017 तक अनुचित रूप से वर्दी भत्ता ₹140 प्रतिमाह व एल0सी0ए0 (LCA) ₹50 प्रतिमाह की दर से भत्तों का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उत्तरदायी से करनी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

किए गए अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है

अवधि	**वर्दी भत्ता दर मासिक**	**एल0सी0ए0 दर मासिक**	**कुल**	**राशि**
5.8.2015 से 31.8.15 27 दिन	140	50	190	165
1.9.15 से 31.3.17 19 माह	140	50	190	3610
			जोड़	**3775**

9 मकान किराया व स्टैन्डरड लाईसैन्स फीस की ₹0.20 लाख की कटौती न करना

नियमानुसार जिस कर्मचारी को सरकारी आवास आबंटन किया जाता है उस कर्मचारी को मकान किराया भत्ता (HRA) देय नहीं होता तथा सम्बन्धित कर्मचारी से आवास की श्रेणी (Type) के हिसाब से स्टैन्डरड लाईसैन्स फीस वसूल की जानी अपेक्षित है।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री बलवन्त सिंह कनिष्ट सहायक व श्री मंगल सिंह बेलदार/चौकीदार को दिनांक 1.8.2015 से टाईप I क्वाटर/का आबंटन किया गया था तथा कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों से स्टैन्डरड लाईसैन्स शुल्क की कटौती भी नहीं गई थी।

इस प्रकार उक्त कर्मचारियों को दिनांक 1.8.2015 से 31.3.2017 तक ₹20320 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	**नाम व पदनाम**	**टाईप**	**आबंटन की तिथि**	**किराये मकान भत्ते की मासिक दर**	**लाईसैन्स शुल्क की मासिक दर**	**कुल**	**अवधि**	**कुल वसूली**
1	श्री बलवन्त सिंह क0 सहायक	टाईप–I	1.8.15	450	108	558	1.8.15 से 31.3.17 तक 20 मास	11160
2	श्री मंगल सिंह चौकीदार	टाईप–I	1.8.15	350	108	458	1.8.15 से 31.3.17 तक 20 मास	9160

	जोड़	20320

10 कर्मचारियों को 4–9–14 की स्कीम के अन्तर्गत दिए गए लाभ से ₹5.22 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद जोगिन्द्र नगर के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि परिषद में कार्यरत्त कर्मचारियों को जो हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या FIN (PR)B(7)-59/2010 दिनांक 9.8.12 के अनुसार 4–9–14 का लाभ देय था उसका भुगतान करते समय सरकार के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नही की गई थी जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण करके **परिशिष्ट (घ)** में दर्शित ₹522533 का अधिक भुगतान किया गया था इस सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी जोगिन्द्र नगर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 दिनांक 28.9.17 के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने सम्बन्धित त्रुटि की पुष्टि करते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली करने का पत्र संख्या MC/JNR-2017/742 दिनांक 7.10.17 के माध्यम से आश्वासन दिया है।

अतः उक्त अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वसूली की राशि
1	श्री मनोहर लाल, ड्राईवर	84118
2	श्री मनोज कुमार, सुपरवाईजर	264034
3	श्री खेम सिंह बेलदार	23193
4	श्रीमती बिना देवी बेलदार	33765
5	श्री सरदार सिंह सफाई कर्मचारी	32264
6	श्री राम सिंह सफाई कर्मचारी	32264
7	श्री जगदीश चन्द सफाई कर्मचारी	52895
	जोड़	**₹522533**

11 श्री रविकान्त तथा श्री राजेश कुमार कर्मचारियों को बकाया वेतन की ₹3.20 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे

(क) श्री रविकान्त तथा श्री राजेश कुमार की दिनांक 1.10.2003 से ₹1950 (fixed) मासिक दर से नियुक्ति की गई तथा तत्पश्चात दिनांक 9/2012 उनकी अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति की गई तथा तदानुसार ही इन कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु इन कर्मचारियों को वाउचर संख्या माह 11/15 दिनांक 30.11.

15 के अन्तर्गत ₹319652 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण नीच दिया गया है। इन कर्मचारियों को नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 10.7.12 से अनुबन्ध आधार पर किया गया तो इससे पहले की अवधि माह 9/12 से पहले के बकाया राशि किस आधार पर प्रदान की गई है, उसके बारे में भी स्पष्टीकरण दिया जाए तथा बकाया राशि के भुगतान से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इन दोनों कर्मचारियों की (fixed) वेतन तथा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति की तिथियों इत्यादि से सम्बन्धित ब्यौरे तथा निम्नविवरणानुसार वसूली योग्य ₹319652 की जाँच संस्था स्तर पर भी की जाए तथा अपेक्षित राशि की वसूली की जाए।

1 **अवधि**	2 **देय राशि**	3 **मासिक भुगतान**	4 **अन्तर**	5 **माह**	6 **कुल अधिक भुगतान (4x5)**
12/2009	1950	6200	4250	1	4250
1/2010 से 8/10	1950	6200	4250	8	34000
9/10 से 8/11	1950	6400	4450	12	54400
9/11 से 8/12	1950	6600	4650	12	55800
9/12 से 8/13	6200	6800	600	12	7200
9/13 से 8/14	6386	7010	624	12	7488
9/14 से 2/15	6572	7220	648	6	3888
				जोड़	**159826X2=319652**

(ख) इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच के उपरान्त अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई, जिनका निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) उक्त भुगतान में हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C) B(7) 5/2009 दिनांक 3.12.2009 के अनुसार पैरा 3 में वर्णित कोई भी कार्यवाही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित कार्यवाही आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ii) अवधि 12/2009 से 2/2015 तक के अनुबन्ध करार अंकेक्षण को दिखाए जाने भी सुनिश्चित किए जाएं।

12 ठेकेदार से ₹1.65 लाख की पैनल्टी की कटौती न करने बारे

(क) कार्य का नामः– Solid waste Management (Dumping site)
Phase-I C/O Boundary wall for ₹706108 in 3 months

Phase II C/O Plate form for ₹942061 in 1 Months

ठेकेदार का नामः– श्री सुभाष चन्द राठौर

उपरोक्त कार्य 2 भागों में आबंटित किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**अवार्ड लैटर नं0 व दिनांक**	**अवधि**	**राशि**	**पैनल्टी**
1	बाऊंडरी वाल का निर्माण डम्पिंग साईंट (SMW)	6684/7.7.15	3 महीने	706108	70611
2	प्लेट कार्य का निर्माण पद (SMW)	10068/25.5.16	1 महीना	942061	94206
				जोड़	**164817**

आबंटन पत्र की शर्त 8 के अनुसार समय अवधि अवार्ड की दिनांक से 15 दिन बाद से शुरू होगी तथा शर्त 4 के अनुसार अगर कार्य समय पर समाप्त नहीं किया जाता तो अवार्ड राशि पर 10% की दर से पैनल्टी देय होगी। अभिलेख के अनुसार बाऊंडरी वाल दिनांक 18.7.2017 को कम्पलीट/पूर्ण हुई है तथा फेज–II प्लेट फार्म का कार्य अंकेक्षण अवधि तक पूर्ण नही हुआ था। इस सम्बन्ध में समय विस्तार बारे कोई स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनांक 15.9.17 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी जोगिन्द्रनगर को सूचित किया गया है जिस के उत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या MC/JNR-2017-589 दिनांक 20.9.17 के माध्यम से सम्बन्धित ठेकेदार से मामला उठाने का आश्वासन दिया है। इस सन्दर्भ में समय बढ़ौतरी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाई जाए अथवा उक्त शर्त अनुसार संविदाकार को पैनेल्टी लगाई जाए। अतः की गई कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13 ₹4095 के क्रय किए गए रेत की खपत न करने बारे

वाउचर संख्या 17 दिनांक 11/2015 के अन्तर्गत मैसर्ज नवीन कुमार ठेकेदार को बिल्डिंग सामग्री की सप्लाई का भुगतान किया गया। नगर परिषद द्वारा ₹2250 CM^3 की दर से 19.04CM^3 रेत खरीदा गया जिसकी प्रविष्टि निर्माण सामग्री रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 119 पर अंकित की गई। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस रेत से केवल 17.22 CM^3 ही अन्य कार्यों के लिए MB No. 42 पृष्ठ 31 पर जारी किया गया है। इसके पश्चात अंकेक्षण अवधि तक इस रेत का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया गया जबकि इसके पश्चात भी रेत का क्रय किया गया है। अतः शेष बचे रेत मात्रा 1.82 के प्रयोग न

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस रेत के मूल्य ₹4095 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 दिनांक 31.3.2017 तक कच्चे खोखो के किराये की ₹0.72 लाख की वसूली शेष

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न दुकान दारों को आबंटित 11 कच्चे खोखो से दिनांक 31.3.2017 तक **परिशिष्ट "च"** के अनुसार किराया ₹71900 की वसूली शेष थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 11.9.17 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर से सूचना माँगी गई थी, जिसके उत्तर में उन्होनें पत्र संख्या MC/JNR-2017-594 दिनांक 20.9.17 के द्वारा बकाया राशि की पुष्टि उपरान्त इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने का आवश्वासन दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराये की ₹2.50 लाख की वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच उपरान्त पाया गया कि नगर परिषद जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में विभिन्न दुकानदारों को आबंटित दुकानों के किराये की राशि दिनांक 31.3.2017 तक ₹250703 वसूली योग्य शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–छ** पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 11.9.17 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी जोगिन्द्रनगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/JNR-2017-593 दिनांक 20.9.17 द्वारा पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित दुकानदारों से बकाया किराये की वसूली करने का आश्वासन दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाय जाए।

16 गृहकर की ₹52.29 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 को गृहकर के रूप में ₹5229756 वसूली शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट"ज"** में दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 11.9.17 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिन्द्रनगर को सूचित किया गया, जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी जोगिन्द्र नगर द्वारा पत्र संख्या MC/JNR-2017-592 दिनांक 20.9.17 द्वारा पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित गृहकर की वसूली करने हेतु कार्यवाही करने को लिखा है तथा इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को

भी अवगत करवाने हेतु लिखा है। अतः उक्त कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

17 मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹1.71 लाख की वसूली हेतु शेष

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा मोबाईल टावर स्थापित किए गए थे दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से **परिशिष्ट "झ"** के अनुसार स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹170500 वसूली हेतु शेष थी। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिन्द्र नगर से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 14.9.17 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MC/JNR-2017-591 दिनांक 20.9.17 द्वारा पुष्टि उपरान्त मामले को मोबाईल टावर कम्पनियों से उठाने का आश्वासन दिया गया। अतः उक्त की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 बिजली टैक्स व अन्य टैक्सों की वसूली न करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन संख्या LSG-(D)-9/94 दिनांक 8.11.1999 तथा हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल्टी एक्ट 1994 के नियम 69 व 66 के अनुसार म्युनिसिपल के क्षेत्र में जो बिजली की खपत उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है उस पर एक पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से म्यूनिसिपल्टी टैक्स की वसूली बिजली विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है, जिसकी भरपाई बिजली विभाग द्वारा नगर परिषद को की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त निम्न टैक्सों की वसूली भी उक्त नोटीफिकेशन के अनुसार अपेक्षित हैः–

क्रमांक	**टैक्स**	**दर**	**वसूल करने की ऐजेन्सी**
1	कुत्तों पर टैक्स	₹50 प्रति कुता प्रति वर्ष	म्यूनिसिपल काऊंसिल
2	विज्ञापन पर टैक्स	₹300 प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष	–यथोपरि–
3	शो टैक्स	₹50 प्रति शो (Show)	–यथोपरि–
4	बिल्डिंग पर टैक्स	₹2.50 पैसे प्रति वर्ग मी0 ₹5 प्रति वर्ग मी0 कमर्शियल बिल्डिंग आदि	–यथोपरि–
5	बिजली टैक्स	1 पैसा प्रति यूनिट	बिजली विभाग

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त कोई भी टैक्स की नगर परिषद द्वारा वसूली नहीं की जा रही है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 15.9.17 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जोगिन्द्रनगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या MC/JNR-2017-590 दिनांक 20.9.17 के द्वारा पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित टैक्सों की वसूली करने का आश्वासन दिया गया। तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 लधु आपत्ति विवरणीः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः V(89)/88-2012 फिन (एल0ए0)–2437–2438दिनांक,07.04.2018 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद जोगिन्द्र नगर, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट–"क" पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/85

1	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (8)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87

1	पैरा–8 (ए) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ए) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (बी) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (बी) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (ई)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–10	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (ख) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (ख) (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ख) (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ख) (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (ख) (6)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (ख) (7)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (ख) (8)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (ख) (9)	अनिर्णीत

10	पैरा–12 (ख) (10)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ख) (11)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (ख) (12)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (ख) (13)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत
13	पैरा–16 (4)	अनिर्णीत
14	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–5 (2) (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2) (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ख) (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (ख) (5) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ख) (5) (घ)	अनिर्णीत

7	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–5	अनिर्णीत
11	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा–18 (ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा–18 (च)	अनिर्णीत
17	पैरा–18 (छ)	अनिर्णीत
18	पैरा–18 (ज)	अनिर्णीत
19	पैरा–18 (झ)	अनिर्णीत
20	पैरा–18 (ञ)	अनिर्णीत
21	पैरा–18 (ट)	अनिर्णीत
22	पैरा–18 (ठ)	अनिर्णीत
23	पैरा–18 (ड)	अनिर्णीत
24	पैरा–18 (ढ)	अनिर्णीत
25	पैरा–18 (ण)	अनिर्णीत
26	पैरा–18 (त)	अनिर्णीत
27	पैरा–18 (थ)	अनिर्णीत
28	पैरा–19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/98

1	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत

4	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–13 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा–13 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (9)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (10)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (11)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (12)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (16)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (1) (1)	अनिर्णीत
23	पैरा–17 (1) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–17 (1) (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/05

1	पैरा–11	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–14 (v)	अनिर्णीत

5	पैरा–14 (vi)	अनिर्णीत
6	पैरा–14 (vii)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (viii)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ix)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (x)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (xii)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (xiii)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (xv)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (xvi)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (xvii)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (xviii)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (xix)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (xxiii)	अनिर्णीत
18	पैरा–14(xxiv)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (16)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (iii)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07

1	पैरा–4 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11

1	पैरा–5.3	अनिर्णीत
2	पैरा–5.4	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14	अनिर्णीत
8	पैरा–15	अनिर्णीत
9	पैरा–18	अनिर्णीत
10	पैरा–19	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत
12	पैरा–21	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13

1	पैरा–4 (ख) (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ख) (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (ख)(i)	आंशिक निर्णीत
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत
12	पैरा–9	अनिर्णीत
13	पैरा–10	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/15

1	पैरा–3	निर्णीत
2	पैरा–4	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण

			प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	निर्णीत	(सम्बन्धित खाता बन्द कर दिया गया है)
4	पैरा–6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा–8	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा–9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9	पैरा–11	निर्णीत	(अब वसूल की गई राशियाँ समय पर जमा करवाई जा रही है)
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	अनिर्णीत	
12	पैरा–14	निर्णीत	(कार्य पूर्ण किया जा चुका है)
13	पैरा–15	अनिर्णीत	
14	पैरा–16	अनिर्णीत	
15	पैरा–17	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.3.2015 तक अनिर्णीत पैरे	164
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	15
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	10
अन्तश्शेष	169